13/4/22 पत्रावली पेश हुई। [illegible] कार्यवाही [illegible] दिनांक 23/5/22 को पेश हो।

23/5/22 पत्रावली पेश हुई। मशरूफियत फरीकैन [illegible]। पत्रावली वास्ते गत आदेशानुसार दिनांक 5/7/22 को पेश हो।

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रै.)
नवलगढ़

5/7/22 पत्रावली पेश। (वकील व हाजरान [illegible]) [illegible] आदेश 10 C.P.C. [illegible] राजस्थान [illegible] वकील [illegible] पेश किया। [illegible] प्रतिवादी वकील [illegible] गई। [illegible] दिनांक 8/7/22 को पेश हो।

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रै.)
नवलगढ़

8/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उप0। वकील वादी व वादी स्वयं को बार-बार न्यायालय समय तक आवाज लगवाई गई। परन्तु इनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से स्पष्ट होता है कि वादी की इस वाद में कोई रुचि प्रतीत नहीं होती। अतः वाद वादी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला सुमार होकर [illegible] कम हो बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रै.)
नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:29:20 IST
Reason: SelfAttested